

[2023] 10 एस. सी. आर 517:2023 आई. एन. एस. सी 634

ए.

मैंगल

बी.

मध्य प्रदेश राज्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1651) 12 जुलाई, 2023

बी.

[ए. एस. बोपन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

नाकॉटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -s.52A-का गैर-अनुपालन आयोजित:- वर्तमान मामले में, प्रदर्शनी पी-4 के तहत तलाशी वारंट ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था-इसके अलावा, जब्ती ज्ञापन के गवाहों में से एक की जांच नहीं की गई थी, जबकि दूसरा शत्रुतापूर्ण हो गया था-गिरफ्तारी ज्ञापन के दोनों गवाहों की जांच नहीं की गई थी-रिकॉर्ड यह भी इंगित करता है कि ट्रायल जज द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अभियोजन पक्ष को जब्त की गई सामग्री को पुलिस स्टेशन के भीतर रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में पेश किया जाना था-यह अपने आप में एक पर्याप्त संकेत है कि एस के आदेश का पालन नहीं किया गया था। 52 ए का पालन नहीं किया गया-जब्त की गई सामग्री को प्रस्तुत न करने या उनके निपटारे के तरीके के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है-मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन, यदि कोई हो, को यू/एस में दायर करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। 52 ए-अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करने वाली बहुत सारी भौतिक अनियमितताएं हैं-इसलिए, अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है-विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

नाकॉटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -s.52A-का दायरा और उद्देश्य- आयोजित:एस की उप-धारा (1)। 52 ए केंद्र सरकार को जब्त मादक पदार्थ के निपटान के लिए निर्धारित किए जाने वाले एक तरीके की सुविधा प्रदान करता है-इसकी उप-धारा (2) एक सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरणों के साथ ऐसी मादक दवाओं की एक सूची तैयार करने के लिए अनिवार्य करती है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट को एक उचित आवेदन के माध्यम से सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने, उनकी उपस्थिति में प्रासंगिक तस्वीरें लेने और उन्हें सही

के रूप में प्रमाणित करने या उचित प्रमाणन के साथ उनकी उपस्थिति में नमूने लेने के उद्देश्य से-उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व होना है क्योंकि यह एक प्राथमिक सबूत है-ऐसी सूची, तस्वीरें और ए द्वारा प्रमाणन के साथ तैयार किए गए नमूनों की सूची

एफ.

जी.

एच.

517

518 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट एक प्राथमिक साक्ष्य के रूप में गठित होते हैं-इसलिए, जब एस का गैर-अनुपालन होता है।⁵² ए, जहां एक मजिस्ट्रेट के प्रमाणन में कोई सूची, फोटोग्राफ या नमूनों की सूची की कमी है, प्राथमिक साक्ष्य का गठन नहीं करेगा -s.52A साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है जिसके लिए एक मजिस्ट्रेट की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसके बाद एक आदेश होता है जो या तो एक सूची को प्रमाणित करने के लिए या खींचे गए नमूनों की सूची-साक्ष्य के अलावा ली गई तस्वीर के लिए उसकी मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है।

बी.

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -s.52A-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.114 (g)-आयोजित:एस के किसी भी प्रस्तावित निपटान/विनाश जनादेश से पहले।⁵² ए, एन. पी. डी. एस. अधिनियम को उस प्रभाव के लिए एक आवेदन के साथ विधिवत अनुपालन की आवश्यकता होती है-एक अदालत को मामले का निर्णय लेते समय इस तरह के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए-किसी दिए गए मामले में अदालत को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होती है जब ऐसा कोई मुद्दा विचार के लिए उत्पन्न होता है-जब्त की गई सामग्री का उत्पादन जब्ती स्थापित करने के बाद वसूली करने का एक कारक है-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान दोनों कठोर और कठोर हैं और इसलिए अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है-भौतिक साक्ष्य के गैर-प्रस्तुत होने से एस के अर्थ के भीतर एक नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा।¹¹⁴(छ) साक्ष्य अधिनियम-अधिसूचना के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का एक तत्व होता है जैसे कि मुहर जमा करना, पात्रों को क्रमवार संख्या देना और नमूने लेने की प्रक्रिया के अनुपालन से पहले उन्हें लॉट में रखना।

सी.

डी.

ई.

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 417:[2008]

10 एससीआर 379; भारत संघ बनाम मोहनलाल (2016) 3 एससीसी

379 :[2016] 1 एससीआर 651; जितेंद्र बनाम एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 562:[2003] 3 पूरकाएस. सी. आर. 918; भारत संघ बनाम जारोपरम (2018) 4 एस. सी. सी. 334:[2018] 1 एस. सी. आर. 618-पर निर्भर।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

[2008] 10 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

जी.

[2016] 1 एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2003] 3 पूरकाएससीआर 918 पर भरोसा किया गया

पैरा 11

[2018] 1 एससीआर 618

उस पर भरोसा करें

पैरा 12 ए

एच.

519

मंगल बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ए

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.1651।

2017 के सी. आर. एल. ए. No.6163 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.03.2019 के निर्णय और आदेश से।

राकेश दहिया, आदित्य दहिया, सुनील वर्मा, कपिल दहिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।
बी.

नचिकेता जोशी, ए. ए. जी., सनी चौधरी, सुश्री आरुषि सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
सी.

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. अपीलार्थी पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद "एन. डी. पी. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (सी) के साथ पठित धारा 8 (बी) के तहत आरोप लगाया गया और दोषी ठहराया गया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष अदालत एन. डी. पी. एस., जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।तदनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई।व्यथित, वर्तमान अपील है

डी.

एक नटशेल में रोग होने का कारण:

2. कालूखेड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात सहायक उप निरीक्षक, एच. एस. सेंगर को 20.05.2010 पर एक टेलीफोनिक संदेश के माध्यम से जानकारी मिली कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त माथुरलाल, जिनके खिलाफ उनकी मृत्यु के कारण मुकदमा समाप्त हो गया था, खसखस के भूसे की प्रकृति में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में थे।दैनिक डायरी में जानकारी दर्ज करने और प्रक्रियात्मक अनुपालन पर समय बर्बाद किए बिना, पुलिस बल ने एक ट्रैक्टर को रोका जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ वाले थैले जब्त किए गए।अभियुक्तों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के उचित अनुपालन पर तलाशी के बारे में बताया गया। घटना स्थल पर एक पंचनामा लिखा गया था।नमूने लिए गए जबकि अभियुक्तों को गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किया गया।अपराध सं. 53/10 में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 15 (सी), धारा 25 और 29 के साथ पठित धारा 8 (बी) के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।13.09.2010 पर क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उनकी सूची में अभियोजन पक्ष के 16 गवाहों को दिखाया गया है और 48 गवाहों को पेश किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

520

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

3. इन गवाहों में से सार्वजनिक गवाह, पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 6 मुकर गए। इनमें पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 6 पंच गवाह थे। इन दोनों गवाहों ने अधिकांश प्रदर्शनों पर हस्ताक्षर किए। पी. डब्ल्यू. 5 ने हालांकि शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि कथित घटना से पहले ही पुलिस स्टेशन में मादक पदार्थ मौजूद था। गवाही के इस हिस्से पर अभियोजन पक्ष द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। दोनों अदालतों ने दोषसिद्धि देने में पुलिस गवाहों के साथ एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर भरोसा किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गिरफ्तारी ज्ञापन की गवाही देने वाले दो गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा उन कारणों से पूछताछ नहीं की गई है जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं।

बी.

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, **1985** की धारा **52** ए; एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा **52** ए

सी.

“52 ए. जब्त मादक पदार्थों और मनोदैहिक दवाओं का निपटान

पदार्थ।— (1) केंद्र सरकार, खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधा या किसी भी अन्य प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन या मादक दवाओं के वर्ग, मादक पदार्थों के वर्ग, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें उनकी जब्ती के बाद जल्द से जल्द ऐसे अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और इस तरह से कि सरकार समय-समय पर इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित कर सकती है।

डी.

ई.

(2) जहां किसी भी मादक पदार्थ, मादक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी ऐसी मादक दवाओं, मादक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या या मादक दवाओं, मादक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन के ऐसे अन्य पहचान विवरण या पैकिंग जिसमें वे पैक किए गए हैं, मूल देश और अन्य विवरणों से संबंधित विवरण होंगे जिन्हें उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी मादक पदार्थ ए की पहचान के लिए प्रासंगिक मान सकते हैं।

एफ.

जी.

एच.

521

मंगल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन और किसी भी मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन करें -

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसी दवाओं, पदार्थों या परिवहन की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सही के रूप में प्रमाणित करना; या

बी.

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना। (3) जहाँ उप-धारा (2) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन को स्वीकार करेगा।

सी.

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध का प्रयास करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, मादक दवाओं, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की तस्वीरों और उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की किसी भी सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में

मानेगा।”4. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को जब्त मादक पदार्थ के निपटान के लिए एक विधि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करती है। विचार विशेष मामले से निपटने के उद्देश्य से और उसके बाद किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ की सुरक्षा के लिए इस तरह के निपटान के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाना है।5. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (2) एक सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरणों के साथ ऐसी मादक दवाओं की सूची तैयार करने का आदेश देती है। सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने, उनकी उपस्थिति में प्रासंगिक तस्वीरें लेने और उन्हें सही के रूप में प्रमाणित करने या उचित प्रमाणन के साथ उनकी उपस्थिति में नमूने लेने के उद्देश्य से संबंधित मजिस्ट्रेट को एक उचित आवेदन के माध्यम से इसका पालन किया जाना चाहिए। इस तरह का आवेदन उपरोक्त तीन उद्देश्यों में से किसी के लिए भी दायर किया जा सकता है। इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व होना है। इस तरह की सूची, तस्वीरें और मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रमाणन के साथ तैयार किए गए नमूनों की सूची प्राथमिक साक्ष्य के रूप में गठित होगी। इसलिए, जब एन. डी. पी. एस. की धारा 52 ए का पालन नहीं किया जाता है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अधिनियम, जहाँ मजिस्ट्रेट के प्रमाणन में किसी सूची, फोटोग्राफ या नमूनों की सूची की कमी है, प्राथमिक साक्ष्य का गठन नहीं करेगा।6. इस प्रावधान के पीछे स्पष्ट कारण अनुसंधान की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है जिसमें एक मजिस्ट्रेट की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसके बाद एक आदेश होता है जो या तो एक सूची को प्रमाणित करने के लिए या खींचे गए नमूनों की सूची के अलावा ली गई तस्वीर के लिए उसकी मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए (1) के उचित अनुपालन में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 339 (ई) दिनांक 10.05.2007 जो विनाश के

प्रमाण पत्र के साथ समाप्त होने वाली दवाओं के निपटान का एक विस्तृत तरीका और तरीका प्रस्तुत करता है: “4. निपटान का तरीका

बी.

सी.

1) जहाँ किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, या यदि ऐसा अधिकारी स्वयं इसे जब्त कर लेता है, तो वह इस अधिसूचना के अनुलग्नक 1 के अनुसार ऐसी मादक दवाओं या मादक पदार्थों की एक सूची तैयार करेगा और इस अधिसूचना के अनुलग्नक 2 के अनुसार धारा 52 ए की उप-धारा (2) के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट को लागू करेगा। 2) मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52 ए की उप-धारा (3) के तहत आवेदन की अनुमति देने के बाद, उपरोक्त खंड (1) में उल्लिखित अधिकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली गई प्रमाणित सूची, तस्वीरों और नमूनों को मामले के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित करेगा और निपटान पर समिति द्वारा निर्णय के लिए औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष को दवा की खेप का विवरण प्रस्तुत करेगा। अधिकारी दवा की खेप के साथ विवरण की एक प्रति गोदाम के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा। XXX XXX XXX

डी.

ई.

एफ.

4.2 दवाओं के निपटान का तरीका।

जी.

(i) अफीम, मॉर्फिन, कोडीन और दवाईन का निपटान कारखानों के मुख्य नियंत्रक के तहत सरकारी अफीम और क्षारीय कार्यों को हस्तांतरित करके किया जाएगा।

(ख) खंड (i) में उल्लिखित दवाओं के अलावा अन्य दवाओं के मामले में, कारखानों के मुख्य नियंत्रक को ए द्वारा सूचित किया जाएगा।

एच.

523

मंगल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

संचार का सबसे तेज़ साधन उपलब्ध है, दवा की खेप का विवरण जो निपटान के लिए तैयार है।

(iii) कारखानों का मुख्य नियंत्रक संचार की प्राप्ति की तारीख के 15 दिनों के भीतर, नियम 67 बी के तहत नमूनों के रूप में आपूर्ति करने के लिए आवश्यक दवाओं की मात्रा, यदि कोई हो, का संकेत देगा।

बी.

((iv) खंड (iii) के तहत कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा आवश्यक दवाओं की ऐसी मात्रा, यदि कोई हो, उसे हस्तांतरित की जाएगी और दवाओं की शेष मात्रा को पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।2.

सी.

(v) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित भस्मकों को जला कर विनाश किया जाएगा। इस तरह का दहन केवल उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का दहन स्वास्थ्य के लिए खतरा या प्रदूषणकारी न हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। औषधि निपटान समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विनाश किया जाएगा।

डी.

XXX XXX XXX

ई.

4.4 विनाश का प्रमाण पत्र।

गोदाम प्रविष्टि संख्या, जब्त किए गए मादक पदार्थों का सकल और शुद्ध वजन आदि जैसे सभी प्रासंगिक आंकड़ों वाला विनाश का प्रमाण पत्र (तीन गुना में) तैयार किया जाएगा और अनुलग्नक 3 के प्रारूप के अनुसार औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के बाद मूल प्रति को गोदाम रजिस्टर में चिपकाया जाएगा, जब्ती मामले की फाइल में डुप्लिकेट रखा जाएगा और तीन प्रतियों को दवा निपटान समिति द्वारा रखा जाएगा। मादक पदार्थों के निपटान का विवरण मासिक मास्टर रिपोर्ट में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को सूचित किया जाएगा।”

एफ.

जी.

7. ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपरोक्त अधिसूचना उस समय अस्तित्व में थी जब मामले में कथित अपराध हुआ था, जिसे अधिसूचना संख्या 1 के माध्यम से 23.12.2022 से निरस्त कर दिया गया था। G.S.R.899 (E)। किसी भी मामले में प्रदत्त शक्तियों के अपमान में जारी की गई अधिसूचना

एच.

524

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (1) के तहत कभी भी मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से उप-धारा (2) का खंडन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के अनुरूप अधिसूचना के माध्यम से जारी किसी भी दिशानिर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

8. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के किसी भी प्रस्तावित निपटान/विनाश आदेश से पहले उस प्रभाव के लिए एक आवेदन के साथ विधिवत अनुपालन की आवश्यकता होती है। एक न्यायालय को मामले का निर्णय लेते समय इस तरह के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए। किसी मामले में जब ऐसा कोई मुद्दा विचार के लिए आता है तो अदालत को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होती है। जब्त सामग्री का उत्पादन बरामदगी के बाद बरामदगी स्थापित करने का एक कारक है। यह याद रखना होगा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान कठोर और कठोर दोनों हैं और इसलिए अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है। भौतिक साक्ष्य को प्रस्तुत न करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद साक्ष्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 114 (जी) के अर्थ के भीतर एक नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। अधिसूचना के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का एक तत्व है जैसे कि मुहर जमा करना, पात्रों को क्रमवार संख्या देना और नमूने लेने की प्रक्रिया के अनुपालन से पहले उन्हें लॉट में रखना। कानून के पूर्व-वर्णित सिद्धांतों को नूर आगा बनाम स्टेट ऑफ लॉ में विस्तार से बताया गया है।

बी.

सी.

डी.

पंजाब, (2008) 16 एससीसी 417:

“89. जारी किए गए दिशानिर्देशों का न केवल काफी हद तक पालन किया जाना चाहिए, बल्कि दंडात्मक कार्यवाही से जुड़े मामले में भी, विभागीय कार्यवाही की तुलना में, ऐसे दिशानिर्देशों की कठोरता पर जोर दिया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसे निर्देश कानून के प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए हैं या नहीं। जब किसी प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसके लिए

कानूनी मंजूरी दी जाती है, तो अधीनस्थ अधिकारियों की ओर से इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

ई.

एफ.

90. हाल ही में, इस न्यायालय ने केरल राज्य बनाम कुरियन अब्राहम (पी) लिमिटेड [(2008) 3 एस. सी. सी. 582] के मामले में, इसके पहले के फैसले के बाद,

जी.

भारत संघ बनाम आजादी बचाओ आंदोलन में न्यायालय [(2004) 10

एस. सी. सी. 1] ने अभिनिर्धारित किया कि वैधानिक निर्देश प्रकृति में अनिवार्य हैं।⁹¹ इन चर्चाओं का तार्किक परिणाम यह है कि स्थायी आदेश में मौजूद दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए।

एच.

525

मंगल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

ताकि ऐसे मामलों में भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बरकरार रहे। स्पष्ट रूप से, जांच प्राधिकरण द्वारा इन दिशानिर्देशों का कोई पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता, तो यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता।

बी.

92. अभियोजन पक्ष की ओर से इस ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक को भौतिक साक्ष्य के दूसरे महत्वपूर्ण टुकड़े से जोड़ा जाना चाहिए कि कथित रूप से निर्विवाद रूप से बरामद हेरोइन की बड़ी मात्रा को भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगणों ने तर्क दिया कि उन्हें नष्ट कर दिया गया था। हालाँकि, यह किस अधिकार पर किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है। कानून के अनुसार ऐसा प्राधिकरण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए। ऐसा आदेश जिस पर निर्भरता रखी गई है, वह प्रदर्शनी पी. जे. है; केवल एक अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय उक्त माल के विनाश या अन्यथा उसके निपटान के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। 1962 के अधिनियम की धारा 110 (1-बी) के तहत एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। प्रमाणीकरण, सूची आदि प्रदान करने वाले उपरोक्त प्रावधान के तहत एक आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। इसके अधिदेश में विनाश के संबंध में कोई निर्देश नहीं है।

सी.

डी.

ई.

XXX XXX XXX

95. उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियों के संबंध में एक संचयी दृष्टिकोण एक व्यापक निष्कर्ष बनाता है जो अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को कम करता है। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए भी अभियुक्त की ओर से वापस ली गई स्वीकारोक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

एफ.

96. अंत में, हेरोइन की बड़ी मात्रा से लिए गए तीन नमूनों से संबंधित भौतिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार किया जाता है कि थोक मात्रा को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 52-ए के तहत परिकल्पित हेरोइन की बरामदगी के तथ्य को स्थापित करने के उद्देश्य से नमूनों को प्रस्तुत करना और प्राथमिक साक्ष्य के रूप में साबित करना आवश्यक था।

जी.

एच.

526

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

XXX XXX XXX

100. इस प्रकार के मामले के न्यायालय की संपत्ति होने के भौतिक साक्ष्य को पवित्र माना जाना चाहिए था। इसे प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के अर्थ के भीतर एक नकारात्मक निष्कर्ष निकालना आवश्यक होगा। यद्यपि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, यदि इसके संचयी प्रभाव को इस आधार पर ध्यान में रखा जाता है कि अनुमति देने वाला निष्कर्ष यह होगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखने के तथ्य को साबित करने के अभियोजन पक्ष के प्रयास के संबंध में गंभीर संदेह पैदा किए जाते हैं। इस न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर जितेंद्र बनाम एम. पी. राज्य [(2004) 10 एस. सी.

सी. 562 में विचार किया है: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 2028] निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी. पी. 565, पैरा 6)

बी.

सी.

“6. ... मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्त के कब्जे से कथित मात्रा में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा सबूत जब्त की गई सामग्री होती जिसे मुकदमे के दौरान पेश किया जाना चाहिए था और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। उन्हें प्रस्तुत करने में इस विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनकी विशेषताओं के बारे में केवल मौखिक साक्ष्य और पंचनामा पेश करने से अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले भारी बोझ का निर्वहन नहीं होता है, विशेष रूप से जहां अपराध एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी सजा के साथ दंडनीय है।

डी.

ई.

9. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्ती के मुद्दे पर, हम भारत संघ बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं।

मोहनलाल, (2016) 3 एससीसी 379:

एफ.

“16. धारा 52-ए की उप-धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी हो सके आवेदन की अनुमति देगा। इसका तात्पर्य यह है कि जल्द ही जब्ती प्रभावी नहीं होती है और प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेज दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी कानूनी रूप से मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिसमें ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना शामिल है, जिसके बाद कौन से नमूने सूचीबद्ध किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची की शुद्धता। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया उपस्थिति में होनी चाहिए और ए

जी.

एच.

मजिस्ट्रेट की देखरेख में और पूरी कवायद को सही होने के लिए उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

17. जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजनाओं में नहीं आता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52-ए (4) के अनुसार, उपरोक्त धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार और प्रमाणित नमूने मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।

बी.

सी.

18. चाहे जो भी हो, नमूने लेने को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान और केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश के बीच टकराव स्पष्ट है जब दोनों को एक साथ रखा जाता है। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि इस तरह के संघर्ष को व्याख्या के पहले सिद्धांतों पर कानून के पक्ष में हल करना होगा, लेकिन वैधानिक अधिसूचना को अपने वर्तमान रूप में जारी रखने से संबंधित अधिकारियों के मन में भ्रम पैदा होगा, न कि उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार इस मामले की फिर से जांच करेगी और उपरोक्त दिशा में उचित कदम उठाएगी।”

डी.

ई.

तथ्य और विवेचना:

10. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं। संयोग से हमने पूरे रिकॉर्ड को पढ़ा।

एफ.

11. पी-3 के तहत प्रदर्शित सूचना देने वाले की सूचना का ज्ञापन दो गवाहों, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 6 के हस्ताक्षर का संकेत देता है, जो दोनों मुकर गए थे। हालाँकि उन्होंने अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया गया कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। हमारे सुविचारित विचार में न्यायालय ने साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है, वास्तव में ये दोनों गवाह 13 तक के अधिकांश प्रदर्शनों में पक्षकार थे। प्रदर्शनी पी-4 के तहत तलाशी वारंट इस तथ्य को स्वीकार करता है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है,

जब्त की जापन के गवाहों में से एक से पूछताछ नहीं की गई है जबकि दूसरा मुकर गया है। दोनों ने

जी.

एच.

528

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

गिरफ्तारी जापन के गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। मादक पदार्थ और पंच गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के मुद्दे पर हम जितेंद्र बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले को दोहराना चाहते हैं।

एमपी, (2004) 10 एससीसी 562:

“5. यह साबित करने के लिए कि अभियुक्तों के कब्जे से चरस और गांजा बरामद किया गया था, पुलिस अधिकारियों और पंच गवाहों के साक्ष्य शामिल थे। पंच गवाह मुकर गए। इस प्रकार, हम पाते हैं कि राजेंद्र पाठक (पीडब्लू 7), अंगद सिंह (पीडब्लू 8) और सब-इंस्पेक्टर डी. जे. राय (पीडब्लू 6) की गवाही के अलावा, आरोपी के कब्जे से ड्रग्स की बरामदगी के बारे में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्तों के कब्जे से कथित रूप से जब्त किए गए चरस और गांजा को निचली अदालत में पेश भी नहीं किया गया था, ताकि उन्हें फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों से जोड़ा जा सके। मुकदमे में, पुलिस अधिकारियों की इच्छुक गवाही के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि चरस और गांजा आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए थे या फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूने आरोपी के कब्जे से जब्त की गई दवाओं से लिए गए थे। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अभियुक्त की अभिरक्षा से कथित रूप से जब्त किए गए चरस और गांजा को न तो अदालत में पेश किया गया था, और न ही उन वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया गया था, जिन्हें किया जाना चाहिए था, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दोषसिद्धि को दूषित नहीं करेगा क्योंकि यह साबित हो गया था कि नमूने ठीक से सीलबंद स्थिति में रासायनिक परीक्षक को भेजे गए थे और वे चरस और गांजा पाए गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा, “अदालत के समक्ष इन वस्तुओं का उत्पादन न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। बचाव पक्ष ने मुकदमे के दौरान इस बात पर भी जोर नहीं दिया कि इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए धारा 465 सी. आर. पी. सी. पर भरोसा किया कि भौतिक वस्तु को प्रस्तुत न करना केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी और यह अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

6. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अस्थिर है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्त के कब्जे से कथित मात्रा में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा सबूत होगा ए एच.

529

मंगल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

जब्त की गई सामग्री जो मुकदमे के दौरान उत्पादित की जानी चाहिए थी और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित की जानी चाहिए थी। उन्हें प्रस्तुत करने में इस विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। केवल उनकी विशेषताओं के बारे में मौखिक साक्ष्य और पंचनामा प्रस्तुत करने से अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले भारी बोझ का निर्वहन नहीं होता है, विशेष रूप से जहां अपराध एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कड़ी सजा के साथ दंडनीय है। इस मामले में, हम देखते हैं कि पंच शत्रुतापूर्ण हो गए हैं इसलिए पंचनामा कुछ और नहीं बल्कि उनके द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है।

बी.

चिन्तित पुलिस अधिकारी। प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव ध्यान देने योग्य है। अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह सुझाव दिया गया था कि घर की मकान मालकिन ने पुलिस के साथ मिलीभगत करके केवल उस घर से आरोपी को बेदखल करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया था जिसमें वे रह रहे थे। अंत में, हम देखते हैं कि जाँच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि पंच गवाहों के मुकर जाने, जांच अधिकारी से पूछताछ न करने और जब्त मादक पदार्थों को पेश न करने के बावजूद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि अभी भी कायम रखी जा सकती है, बहुत दूर की बात है।”

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 12. हम आगे पाते हैं कि अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन, जैसा कि दो गवाहों, पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा देखा गया है, साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई नया तथ्य शामिल नहीं है। जो भी हो, ये गवाह भी मुकर गए। अभिलेख से यह भी संकेत मिलता है कि विचारण न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अभियोजन पक्ष को जब्त की गई सामग्री को पुलिस थाने के भीतर रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में पेश किया जाएगा। यह अपने आप में एक पर्याप्त संकेत है कि धारा 52 ए के आदेश का पालन नहीं किया गया है। जब्त की गई सामग्री का उत्पादन न करने या उन्हें निपटाने के तरीके के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के तहत दायर आवेदन, यदि कोई हो, की अनुमति देने वाला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। P.W.10, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर गवाही दी है कि उन्होंने कथित रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थ के निपटान के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था। इसी तरह मलखाना के प्रभारी P.W.12 को भी ऐसा कोई आदेश पारित किए जाने की बात याद नहीं है। एन. डी. पी. एस. की धारा 52 ए में निहित अनुपालन के अपमान में मादक पदार्थ के निपटान के मुद्दे पर

ई.

एफ.

जी.

अधिनियम, भारत संघ बनाम जारोपरम, (2018) 4 एस. सी. सी. 334 में यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

एच.

530

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“8. उपर्युक्त पैराग्राफ से जो पता चलता है वह यह है कि प्रत्येक 30 ग्राम के दो नमूने लेने के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जब्त की गई पूरी शेष संपत्ति जांच अधिकारी अभि.सा. 6 को वापस कर दी। इसका और पता लगाने के लिए, हमने कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सिंगोली टप्पा द्वारा दर्ज 14-10-2004 (अनुलग्नक पी-5) की कार्यवाही की सटीक सामग्री का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, दर्ज की गई कार्यवाहियों को इस प्रकार पढ़ा जाए:

बी.

कार्यवाही

14-10-2004:मामला प्रस्तुत किया गया।श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक (जांच अधिकारी), नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 8/29 के तहत 2004 के अपराध संख्या 1 में जब्त किए गए सामान के तीन सीलबंद पैकेट जमा किए हैं।इन पैकेटों को ए, बी और सी चिह्नित किया गया था और विवरण नीचे दिए गए हैं:1-ए:"ए" चिह्नित पैकेट पर यह संकेत दिया गया था कि पैकेट में 7.200 किलोग्राम अफीम है जो जारोप्राम, पुत्र गंगा राम बिश्रोई से जब्त की गई थी।पैकेट खोलते ही पारदर्शी पॉलीथीन बैग मिला, जिसमें फिर से दो पॉलीथीन पैकेट पाए गए।एक पॉलिथीन ने क्रमशः 4.000 किलोग्राम और दूसरे ने 3.200 किलोग्राम अफीम का संकेत दिया।दोनों पैकेटों में से प्रत्येक से 30-30 ग्राम का एक संयुक्त नमूना लिया गया है और एक छोटे प्लास्टिक पॉलिथीन में रखा गया है और ए-3 और ए-4 को चिह्नित किया गया है और सील कर दिया गया है।जब्त किए गए शेष सामान और हमेशा की तरह सील किए गए नमूनों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक को सौंप दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

9. उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए शेष सामान का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटान नहीं किया गया था।प्रतिबंधित सामग्री के साथ-साथ हमेशा की तरह सील किए गए नमूनों को जांच अधिकारी परविंदर सिंह (पीडब्लू **6**) को सौंप दिया गया।साथ ही निचली अदालत ने अपने फैसले में विशेष रूप से जब्त की गई संपत्ति और मामले के रिकॉर्ड को सुरक्षित हिरासत में रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सह-आरोपी भंवरलाल फरार था। निचली अदालत ने अधिक विशेष रूप से निर्देश दिया कि रिकॉर्ड की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसके पहले पन्ने पर लाल स्याही वाला एक नोट रखा जाए।ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि प्रतिबंधित पदार्थ की शेष थोक मात्रा का क्या हुआ।उचित व्याख्या का अभाव ए

एफ.

जी.

एच.

अभियोजन पक्ष अपने मामले को काफी कमजोर करता है और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के साक्ष्य मूल्य को कम करता है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से जब्त अफीम की बड़ी मात्रा को पेश करने में चूक से अदालत के मन में कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से लिए गए और ए, बी, सी, डी, ई, एफ के रूप में चिह्नित नमूनों की वास्तविकता पर संदेह पैदा होगा। हालाँकि, इस सरल तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसे नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस अधिकार पर किया गया था। कानून के अनुसार ऐसा प्राधिकरण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए। अभिलेख के एक नंगे अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या अन्यथा उसके निपटान के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष को अपने निपटारे के लिए अधिनियम की धारा **52-ए** के तहत परिकल्पित मजिस्ट्रेट की सक्षम अदालत से आदेश प्राप्त करना चाहिए था। अधिनियम के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट जल्द से जल्द आवेदन की अनुमति दे सकता है (नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, **(2008) 16 एस. सी. सी. 417** भी देखें): **(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 748**)।

बी.

सी.

डी.

ई.

11. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कथित रूप से जब्त की गई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के निपटान/विनाश के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। इस तरह के कथित विनाश/निपटान से पहले आरोपी को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी को जल्दबाजी में माना और प्रत्यर्थी को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के उत्पादन की गारंटी दिए बिना दोषसिद्धि प्रदान की। लेकिन, उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू से निपटने में कोई गलती नहीं की और इस निष्कर्ष पर पहुँचकर अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया कि मुकदमे में, सबूत पेश करने के समय गवाहों को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ नहीं दिखाया गया था।

एफ.

जी.

12. अभियोजन पक्ष के मामले में अन्य विसंगतियों की ओर मुड़ते हुए, पीडब्लू 1 और 2 स्वतंत्र गवाहों द्वारा चित्रित किए गए

एच.

532

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अभियोजन पक्ष शत्रुतापूर्ण हो गया है और अपने मामले का समर्थन नहीं किया है।रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल जांच एजेंसी की मर्जी से कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। एक अन्य पहलू जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष के उस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया था, जो अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख गवाह, मादक पदार्थ अधिकारी (पीडब्लू 5) द्वारा स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रत्यर्थी-अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था जब वह अपनी हिरासत में था और बयानों में समय का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि अभि.सा. 6 के बयान से भी होती है कि आरोपी का बयान गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में रहते हुए दर्ज किया गया था।अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्त का बयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से दिया गया था।

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 13.जब्त के संबंध में एक गंभीर संदेह है।पी. डब्ल्यू. 5, जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी थे, ने घटना से पहले भी वही जब्त की गई सामग्री के अस्तित्व पर बयान दिया था।अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को नष्ट करने वाली इस गवाही को चुनौती भी नहीं दी गई है।

डी.

14. दोनों न्यायालयों ने P.W.11 के कथन को सत्य के रूप में लेते हुए यंत्रवत रूप से एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर निर्भरता रखी है।उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को कम से कम कुछ पहलुओं पर राय के रूप में लिया जा सकता है।बहुत सारी भौतिक अनियमितताएँ हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले पर ही गंभीर संदेह पैदा करती हैं।एक उचित विश्लेषण पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित निर्णयों को दरकिनार किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

15. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एन. डी. पी. एस., जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश द्वारा विशेष सत्र सं. 19/2010 में दी गई दोषसिद्धि और सजा, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की आपराधिक अपील सं. 6163 में पुष्टि की गई है, खारिज कर दी गई है। अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। बॉन्ड, यदि कोई हो, तो डिस्चार्ज हो जाएगा।

जी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एच.